न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 205–पीबीआर/2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–12–04 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर प्रकरण कमांक निगरानी 124/2004–05.

.....

जितेन्द्र पिता जगन्नाथ (हरिजन) कौली
निवासी पलासिया नाले के पास
ए.बी. रोड, इन्दौर .....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, इन्दौर
कार्यालय मोतीतबेला, इन्दौर .....अनावेदक

.....

श्री हेमन्त मुंगी, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/7/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–12–04 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक जितेन्द्र को पलासिया नाले के पास, इन्दौर स्थित भूमि सर्वे कमांक 366/1 का पट्टा वर्ष 1985 में दिया गया था, जिसे फर्जी होने से अपर कलेक्टर, इन्दौर द्वारा दिनांक 30–8–2000 को आदेश

पारित कर निरस्त किया गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29–4–2002 को आदेश पारित कर निगरानी स्वीकार करते हुए आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के पालन में कलेक्टर द्वारा प्रकरण संस्थित कर दिनांक 22–11–02 को आदेश पारित कर आवेदक को दिया गया पट्टा पुनः निरस्त किया गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25–11–2003 को आदेश पारित कर कलेक्टर का आदेश दिनांक 22–11–02 निरस्त किया गया, तथा प्रकरण कलेक्टर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि आवेदक को जारी पट्टे की वैधता के सम्बन्ध में समुचित जांच कर प्रकरण का निराकरण किया जाये । अपर आयुक्त के आदेश के पालन में कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पुनः कार्यवाही प्रारम्भ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा जांचकर्ता अधिकारी के प्रतिपरीक्षण किए जाने की मांग की गई । कलेक्टर द्वारा आवेदक द्वारा की गई मांग को निरस्त किया गया एवं प्रकरण में तर्क प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम अवसर दिया गया । कलेक्टर द्वारा पारित अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29–12–04 को आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकालते हुए कि आवेदक द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने का उद्देश्य कलेक्टर के समक्ष प्रकरण लम्बित रखना है, निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से सूचना उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों एवं अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि कलेक्टर द्वारा जांच अधिकारी जो कि शासकीय सेवा में है, को पत्र लिखकर बुलाकर उनके प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया जाना चाहिए था, परन्तु उक्त कार्यवाही नहीं करने में कलेक्टर द्वारा अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह

भी आधार लिया गया है कि अपर आयुक्त द्वारा पूर्व में पारित प्रत्यावर्तन आदेश का पालन तभी होता, जब सम्बंधित राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट जो कि कलेक्टर के समक्ष उपलब्ध थी, पर राजस्व निरीक्षक के कूटपरीक्षण करने का अवसर आवेदक को दिया जाता । अन्त में आधार लिया गया है कि अपर आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य होने के बावजूद भी निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को फर्जी पट्टा दिया गया है, जिसे निरस्त करने में कलेक्टर द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, और अपर आयुक्त से प्रकरण प्रत्यावर्तित होने के पश्चात कलेक्टर द्वारा विधिवत कार्यवाही की जा रही है, परन्तु कलेक्टर के समक्ष प्रचलित कार्यवाही को लम्बित रखने के उद्देश्य से आवेदक द्वारा जांच अधिकारी के प्रतिपरीक्षण की मांग की गई है, जो कि उचित नहीं है । इस आधार पर कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा अपर आयुक्त के आदेश के पालन में कार्यवाही की जा रही है । कार्यवाही के दौरान आवेदक की ओर से जांचकर्ता अधिकारी के प्रति परीक्षण किये जाने की मांग की गई है । इस संबंध में कलेक्टर द्वारा इस निष्कर्ष के साथ कि आवेदक द्वारा कार्यवाही लंबित रखने के उद्देश्य से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, आवेदक की मांग निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । आवेदक को कलेक्टर के समक्ष प्रकरण में तकनीकी बिन्दु नहीं उठाकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर पट्टे की वैधानिकता को प्रमाणित करना चाहिये । इस प्रकार कलेक्टर द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है, जिसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–12–2004 विधिसंगत एवं औचित्यपूर्ण होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, म0 प्र0
ग्वालियर